संख्या-6/2016/528/49-1-2016-08(13)/2015

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2016

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अधिष्ठान एवं अन्य व्ययों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्रांक-01/रा0स0स0नि0आ0(बजट)/2016-17 दिनांक 01 अप्रैल,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग में अधिष्ठान तथा अन्य व्ययों को वहन किये जाने हेतु संलग्नक-1 में उल्लिखित मदवार धनराशि रू0 6,17,82,000.00 (रू0 छः करोड़ सत्रह लाख बयासी हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि जिस मानक मद/प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी तथा मितव्ययिता की मदों में न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

3- धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं क्रय संबंधी सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सम्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय मद में व्यवस्थित धनराशि का उपयोग सूचना विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5- मानदेय की मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित नीति एवं दरों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

6- आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 में उल्लिखित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन विभाग/सस्था में तैनात लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित लेखाधिकारी आदि का दायित्व होगा कि वे विचलन की स्थिति से तत्काल वित्त विभाग एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

9- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप आने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-11-उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2016/528(1)/49-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य सह0 समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/सहकारिता अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-528/49-1-2016-08(13)/2015 दिनांक 04 अप्रैल, 2016 का संलग्नक-।

क्रम सं0	मद	स्वीकृत धनराशि(हजार रू0 में)
01	**02**	**03**
1	01- वेतन	12229
2	02- मजदूरी	200
3	03- महंगाई भत्ता	16631
4	04- यात्रा व्यय	500
5	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200
6	06- अन्य भत्ते	1222
7	07- मानदेय	50
8	08- कार्यालय व्यय	3000
9	09- विद्युत व्यय	2000
10	10- जलकर/जल प्रभार	100
11	11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	5000
12	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000
13	13- टेलीफोन का व्यय	600
14	15- गाडिंयों का अनुरक्षण, पेट्रोल आदि की खरीद	1240
15	16- व्यावसायिक एवं विशेष सेवा का भुगतान	2000
16	17- किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2500
17	18- प्रकाशन	1000
18	19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5000
19	22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	200
20	26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	500
21	29- अनुरक्षण	1000
22	42- अन्य व्यय	500
23	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500
24	45- अवकाश यात्रा व्यय	100
25	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफटवेयर का क्रय	1000
26	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	1000
27	49- चिकित्सा व्यय	2500
28	51- वर्दी व्यय	10
योग:		**61782**

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।